बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 16/125 पटना, दिनांक 27/08/2013

ग्रा0वि0- 08 (थ)- प्रशिक्षण- 08/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत लोकपाल के संबंध में संशोधित मार्गदर्शिका ।**

महाशय,

आप अवगत है कि मनरेगा अंतर्गत कार्यक्रम क्रियान्वयन में पायी जाने वाली अनियमितता के शिकायत निवारण हेतु लोकपाल की व्यवस्था की गई है जो तटस्थ एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करने हेतु कटिवद्ध है । वर्तमान में राज्य के ग्यारह जिलों में लोकपाल कार्यरत है । कतिपय जिलों में लोकपाल के कर्त्तव्य, सुविधाऍ एवं अन्य पहलुओं पर पृच्छा की जा रही है।

लोकपाल की स्वायत्तता (Autonomy):-

1. मनरेगा अधिनियम में वर्णित निदेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार के अधिकारी लोकपाल के कर्त्तव्य निर्वहन हेतु कोई निदेश निर्गत नहीं करेगें परंतु कतिपय संवेदनशील मामले में तटस्थ एवं पारदर्शी जॉच हेतु लोकपाल से जिला पदाधिकारी अनुरोध कर सकते है ।

मानदेय

1. लोकपाल को प्रति कार्य दिवस हेतु कार्यलय में उपस्थित होने एवं कार्य निष्पादन करने पर 1000/- रूपये (एक हजार) रूपये मानदेय देय होगा जो कि अधिकतम 20,000/- (बीस हजार) प्रतिमाह होगा। बैठक से तात्पर्य प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य ना कि परिवाद की संख्या जिसका निष्पादन उनके द्वारा किया जा रहा है ।

   यह बैठक (उपस्थिति) उनके आवश्यकता आधारित होगी । सभी उपस्थिति (बैठक) एवं कार्य निष्पादन का **Doucments** उन्हेजिला प्रशासन को प्रतिमाह सौपना होगा ।

2. लोकपाल **DRDA** अथवा प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध सुविधाऍ यथा प्रतिवेदन टंकित करवाना एवं प्रेषित करना तथा स्टेशनरी का उपयोग कर सकते है ।

3. **DRDA** द्वारा उन्हें तकनीकी तथा प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जायेगा ताकि उन्हे अपने कार्य निष्पादन में कोई असुविधा ना हो । इस क्रम में उन्हें सहयोगी कर्मी **(Support Staff)** शिकायत वॉक्स, टेलिफोन इत्यादि जिला प्रशासन उपलब्ध करायेगी ।

4. TA/DA **तथा परिवहन**

(i) राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अवकाश प्राप्त पदाधिकारी को यात्रा भत्ता अधिमान्य है वह लोकपाल को देय होगा । सरकारी कार्य के निर्वहन अथवा जॉच कार्य निष्पादन हेतु अधियाचना पर जिला प्रशासन जिला मुख्यालय से क्षेत्र के लिए लोकपाल को वाहन उपलब्ध करायेगी ।

2

Atul Sir. Letter. No-456

(ii) सभी कार्यालय व्यय, मानदेय TA/DA जो लोकपाल के कार्यालय पर व्यय होगा वह मनरेगा अधिनियम के 22(1) (C) की धारा अंतर्गत आकस्मिकता निधि के 6% से ही वहन कराना होगा।

कर्त्तव्य एवं दायित्व

1. सभी लोकपाल मनरेगा कामगार एवं अन्य से अधिनियाम के clause 9 में वर्णित विषय वस्तु पर शिकायत प्राप्त कर उसका निवारण करेगें ।
2. इस संदर्भ में उनके द्वारा वांछित सूचनाएँ जिला प्रशासन अथवा अन्य प्राधिकार उन्हें उपलब्ध करायेगें ।
3. स्थलीय जॉच हेतु लोकपाल निदेश निर्गत कर सकते है ।
4. शिकायत की गुणवत्ता सहित निवारण हेतु लोकपाल Distt Quality Monitor यथा कार्यपालक अभियंता की सेवा तथा अन्य Expert की सेवा प्राप्त कर सकेगें ।
5. शिकायत निवारण हेतु अनुशासनिक अथवा सुधारात्मक सुझाव लोकपाल देगें ।
6. प्रत्येक माह के 5वीं तिथि को पूर्व माह का प्रतिवेदन लोकपाल निम्न प्रपत्र में समर्पित करेगें-

प्रपत्र

जिला का नाम माह.................. वर्ष..........................

क्रम	लोकपाल का नाम	माह के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद (शिकायत) पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद की संख्या	लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में पारित आदेश का शिकायतवार सार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

(लोकपाल का हस्ताक्षर)

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

26/8

(अमृल लाल मीणा)

सचिव

ज्ञापांक 161125 पटना, दिनांक- 27/08/2013

ग्रा0वि0- 08 (थ)- प्रशिक्षण- 08/2013

प्रतिलिपि:- सभी लोकपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

26/8

सचिव

Atul Sir, Letter No 456